# न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

**(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)**

**अपील संख्या :– 371/23 (धारा 76 भू राज0भू.अधि0 1956) (RCMS No.2023/396)**

कजोडसिंह पुत्र गजानन्द जाति राजपूत निवासी खिरनी तहसील मलारनाडूंगर जिला सवाईमाधोपुर।

.....**अपीलान्ट**

**बनाम**

1. गोपाल सिंह पुत्र गजानन्द जाति राजपूत निवासी खिरनी तहसील मलारनाडूंगर जिला सवाईमाधेपुर।
2. कालूसिंह पुत्र गजानन्द जाति राजपूत निवासी खिरनी तहसील मलारनाडूंगर जिला सवाईमाधोपुर।
3. सरपंच ग्राम पंचायत खिरनी तहसील मलारनाडूंगर जिला सवाईमाधोपुर।

.....**रैस्पोडेन्ट**

अपील अंतर्गत धारा 76 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश उपजिला कलक्टर मलारनाडूंगर दिनांक 2.8.2017 व सिलसिले नामान्तरकरण संख्या 573 दिनांक 25.2.2016 ग्राम खिरनी तहसील मलारनाडूंगर जिला सवाईमाधोपुर।

उपस्थितिः–

1. श्री मौहम्मद अकरम वकील अपीलान्ट
2. श्री इमरान खान वकील रैस्पोडेन्ट।
3. श्री सत्येन्द्र गोयल वकील रैस्पोडेन्ट।

## निर्णय

**दिनांकः– 27.02.2024**

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 उप जिला कलक्टर मलारनाडूंगर जिला सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 02.08.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि नामान्तरकरण संख्या 573 मृताबिक विक्रय पत्र 21.12.2015 भरकर पेश किया गया, जिसे सरपंच ग्राम पंचायत खिरनी पंचायत समिति बौलीं जिला सवाईमाधोपुर द्वारा प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 25.02.2016 की ग्राम संभा में विवादित होने के कारण नामान्तरकरण खारिज कर दिया गया। तथा मृतक के वारिसान के नाम दर्ज कर पेश करने के आदेश दिये गये। सरपंच ग्राम पंचायत बौलीं के इस आदेश दिनांक 25.02.2016 को रैस्पो0 संख्या 1 व 2 के द्वारा तहत अदालत उपखण्डाधिकारी मलारनाडूंगर के समक्ष यह कहते हुये चुनौती दी गई कि दिनांक 21.02.2015 को अपीलान्टस/रैस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने जरिये विक्रय पत्र खसरा नम्बर 10180 रकबा 0.0100, खसरा नम्बर 10181 रकबा 1.6200, खसरा नम्बर 10183 रकबा 0.0900, खसरा नम्बर 10187 रकबा 0.0100 कुल रकबा 1.7300 है0 ग्राम खिरनी क्रय की है। ग्राम पंचायत ने राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु रूल्स 1957 के नियम 121(4) की अनदेखी करके वैधानिक विक्रयपत्र के अनुसार नामान्तरकरण तस्दीक नहीं किया है। धारा 33, 34, 35 का

संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

स्पष्ट उल्लघंन किया है। इसलिऐ अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 573 स्वीकार किया जावे। तहत अदालत उपखण्डाधिकारी मलारनाडूंगर द्वारा बाद कार्यवाही अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.08.2017 पारित करते हुये अपील अपीलान्ट स्वीकार की गई तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 573 दिनांक 25.02.2016 ग्राम खिरनी पर सरपंच ग्राम पंचायत खिरनी द्वारा दिया गया आदेश निरस्त किया गया एवं विक्रय पत्र दिनांक 21.12.2015 के आधार पर अपीलान्टस के नाम भरे गये नामान्तरकरण को स्वीकार किया जाकर विक्रय पत्र के अनुसार भूमि अपीलान्टस के नाम खातेदारी में दर्ज करने का आदेश दिया गया। उपखण्डाधिकारी मलारनाडूगर के इस आदेश दिनांक 02.08.2017 के खिलाफ अपीलान्ट द्वारा यह अपील अदालत हाजा में पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। नियत दिनांक को वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 02.08.2017 रिकार्ड व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। उक्त प्रकरण में रैस्पो0 संख्या 1 व 2 ने नामान्तरकरण संख्या 573 दिनांक 25.02.2016 ग्राम खिरनी के खिलाफ तहत अदालत के समक्ष अपील पेश की गई थी। जिसमें अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट नं0 3 की ओर से अपने जबाब में अपील अस्वीकार करते हुये निवेदन किया गया कि नामान्तरकरण संख्या 573 दिनांक 25.02.2016 सम्पूर्ण कोरम का विरोध एवं विवादित होने से मृतक के वारिसान के नाम नामान्तरकरण भरने व पेश करने का नोट डालकर अस्वीकार किया गया था। अपीलाधीन नामान्तरकरण में वर्णित भूमि का एकमात्र खातेदार गजानन्द पुत्र जोहर सिंह राजपूत निवासी खिरनी है, जिसे यह भूमि नामान्तरकरण संख्या 251 दिनांक 20.07.2013 को वसीयत से प्राप्त हुई थी क्योंकि पहले उक्त भूमि गजानन्द के बडे भाई घासी सिंह उर्फ घीस्या के नाम दर्ज थी। घासीसिंह उर्फ घीस्या बडा होने के कारण जमीन उनके नाम लगादी गई थी जिससे उसने वसीयत में गजानन्द के नाम कर दिया इस आधार पर विवादित नामान्तरकरण की आराजी गजानन्द की खुद की खरीद हुई सम्पत्ति नहीं थी बल्कि पैतृक सम्पत्ति थी तथा पैतृक सम्पत्ति में जन्म से ही सभी वारिसान का नाम अधिकृत रूप से निहित हो जाता है। विक्रेता गजानन्द पत्र जोहर सिंह के दोनों अपीलान्टस के अलावा विरासत के नामान्तरकरण संख्या 581 दिनांक 08.03.2016 के अनुसार कजोडसिंह, रामसिंह तथा सुशीला भी किसी दो के नाम विक्रय पत्र तस्दीक कराने का अधिकार नहीं था फिर भी रैस्पोडेन्ट नं0 1 व 2 ने अपने पिता की गम्भीर बीमारी का फायदा उठाकर उसे जयपुर अस्पताल से ही सीधे मलारनाडूंगर उप पंजीयक के यहां लाकर विक्रय पत्र अपने पक्ष में तस्दीक करवा लिया जबकि गजानन्द की स्थिति बहुत नाजुक दौर में थी। उक्त विक्रय पत्र दिनांक 21.12.2015 को तस्दीक होने के तुरन्त बाद दिनांक 08.02.2016 को उसकी मृत्यु हो गई थी। उक्त विक्रय पत्र गलत होने से रैस्पोडेन्ट नं0 3 द्वारा

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

नामान्तरकरण अस्वीकार किया गया। नामान्तरकरण अस्वीकार करते समय कोई कानून का उल्लघंन नहीं किया गया। इस कारण रैस्पोडेन्ट नं0 3 ग्राम पंचायत खिरनी ने ग्राम पंचायत से अपील खारिज करने का निवेदन किया गया। वर्तमान में उक्त भूमि गोपालसिंह, कजोडसिंह व सुशीला, कालूसिंह के नाम है। इसलिऐ रैस्पोडेन्ट नं0 1 व 2 को नामान्तरकरण संख्या 581 दिनांक 08.03.2016 को निरस्त करवाने की कार्यवाही करनी चाहिऐ थी जो कि रैस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने नहीं की इसलिऐ उक्त नामान्तरकरण आज की तारीख में भी अस्तित्व में है। रैस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पक्ष में जो विक्रय पत्र दिनांक 21.02.2015 को तस्दीक हुआ है वह अपीलान्टस रैस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 द्वारा उनके पिता गजानन्द की गम्भीर बीमारी के वक्त नाजुक स्थिति में बिना किसी के बयान हुये तथा बिना उनकी सहमति के तथा बोलने की स्थिति में ना होने के बाबजूद तस्दीक किया गया है, जो कि गलत है। मृतक गजानन्द के चार पुत्र व एक पुत्री हैं। रैस्पोडेन्ट नं0 2 ने नामान्तरकरण संख्या 573 दिनांक 25.02.2016 को ग्राम सभा प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 25.02.2016 द्वारा सही रूप से खारिज किया जाकर मृतक के कानूनी वारिसान के नाम नामान्तरकरण दर्ज करने का सही आदेश दिया है तथा रैस्पोडेन्ट संख्या 3 ने नामान्तरकरण संख्या 573 को निरस्त करने में कोई कानूनी भूल नहीं की है क्योंकि उक्त भूमि गजानन्द की स्वयं की भूमि नहीं थी। यह आराजी गजानन्द की पैतृक सम्पत्ति थी जिसमें सम्पूर्ण काननी वारिसान को जन्म से ही कानूनी अधिकार प्राप्त थे इसलिऐ उक्त रैस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 द्वारा जो विक्रय पत्र तस्दीक कराया गया है, वह गलत एवं निराधार है। वर्तमान में नामान्तरकरण संख्या 581 प्रस्ताव संख्या 5 दिनांक 08.03.2016 के तहत अपीलान्ट एवं रैस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 रामसिंह एवं सुशीला रिकार्डेड खातेदार है इसलिऐ रैस्पोडेन्ट नं0 1 व 2 का उक्त आराजी से कोई ताल्लुक व वास्ता नहीं है बल्कि सभी वारिसान का है। अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2017 इसलिए विधि विरूद्ध है, क्योंकि उक्त निर्णय पारित करने से पूर्व अदालत मातहत में रिकार्ड पर उपलब्ध सभी कानूनी बिन्दुओं व तथ्यों पर गौर नहीं किया और मनमाने तरीके से की गई वसीयत के आधार पर पैतृक सम्पत्ति को नजरअन्दाज कर विक्रय पत्र दिनांक 21.12.2015 की आड़ में अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अदालत मातहत की जानकारी में यह बखूबी था कि ग्राम पंचायत खिरनी द्वारा अपीलान्ट एवं अपीलान्ट के भाई बहन जो मृतक गजानन्द के पुत्र पुत्रीयां है जिनके नाम नामान्तरकरण संख्या 581 दिनांक 08.03.2016 प्रभाव में हे और उस नामान्तरकरण के विरूद्ध अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 ने कोई अपील उक्त नामान्तरकरण को निरस्त कराने की नहीं है उसके बाबजूद भी माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दु को नजर अंदाज करते हुये विवादित निर्णय 2.8.2017 पारित कर भारी कानूनी भूल की है जबकि वर्तमान में रैस्पो0 नं0 2 अपीलान्ट विवादित आराजीयात पर अपने भाई बहन के साथ रिकार्ड एवं भौतिक रूप से काबिज है। अपीलान्ट एवं रैस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 रामसिंह एवं सुशीला गजानन्द के पुत्र पुत्रीयां है और

न्यायालय संभागीय आयुक्त ★ भरतपुर संभाग, भरतपुर ★

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

विवादित भूमि गजानन्द को अपने बडे भाई घासीसिंह उर्फ धीस्या से वसीयत में मिली थी, क्योंकि घासीसिंह गजानन्द के बडे भाई थे और उनकी पैतृक सम्पत्ति गलती से घासी सिंह के नाम दर्ज हो गई थी इसलिऐ घासीसिंह ने उक्त आराजी को जरिये वसीयतनामा दिनांक 15.02.1991 को गजानन्द के नाम वसीयत कर दी थी जिसके आधार पर ही उक्त जमीन गजानन्द के नाम खातेदारी में दर्ज की गर्ठ और गजानन्द की मृत्यु के पश्चात उसके वारिसान के नाम उक्त आराजीयात का नामान्तरकरण तस्दीक किया गया। इन सभी तथ्यों को एवं दस्तावेजों का अन्देखा कर माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित निर्णय दिनांक 02.08.2017 पारित कर भारी कानूनी भूल की है। इसलिऐ अपीलाधीन आदेश निरस्तनी है। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 02.08.2017 में अदालत मातहत ने ग्राम पंचायत खिरनी की ओर से नामान्तकरण संख्या 573 दिनांक 25.02.2016 में पारित आदेश को निरस्त कर विक्रय पत्र दिनांक 21.12.2015 के आधार पर अपीलार्थी व रैस्पोडेन्ट नंबर 1 व 2 के नाम भरे गये नामान्तकरण को स्वीकृत करने व राजस्व अभिलेख में दर्ज करने के आदेश दिए हैं, जो कि विधिविरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 02.08.2017 निरस्त किया जावे तथा ग्राम पंचायत की ओर से स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 581 दिनांक 08.03.2016 को यथावत रखा जावे।

वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुए रैस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने लिखित बहस पेश करते हुए तर्क दिया कि उपखण्ड अधिकारी मलारना डूंगर की ओर से पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.08.2017 रिकार्ड व तथ्यों पर आधारित है। जिसमें कोई अवैधानिकता या अनियमितता नहीं है, क्योंकि ग्राम पंचायत द्वारा रैस्पोडेन्ट के पक्ष में पटवारी हल्का द्वारा भरे गये नामान्तकरण को गलत रूप से खारिज किया गया था। इसकी रैस्पोडेन्ट द्वारा अदालत मातहत में अपील पेश किये जाने पर उपखण्ड अधिकारी ने उनके न्यायालय में प्रस्तुत हुए रिकार्ड व दस्तावेज की जॉच व परीक्षण करने के बाद निर्णय दिनांक 02.08.2017 को पारित किया है। नामान्तरकरण संख्या 573 मृताबिक विक्रय पत्र 21.12.2015 भरकर पेश किया गया जिसे सरपंच ग्राम पंचायत खिरनी पंचायत समिति बौली जिला सवाईमाधोपुर द्वारा प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 25.02.2016 की ग्राम संभा में विवादित होने के कारण नामान्तरकरण खारिज कर दिया गया। तथा मृतक के वारिसान के नाम दर्ज कर पेश करने के आदेश दिये गये। सरपंच ग्राम पंचायत बौली के इस आदेश दिनांक 25.02.2016 को रैस्पो0 संख्या 1 व 2 के द्वारा तहत अदालत उपखण्डाधिकारी मलारनाडूंगर के समक्ष यह कहते हुये चुनौती दी गई थी कि दिनांक 21.02.2015 को अपीलान्टस/रैस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने जरिये विक्रय पत्र खसरा नम्बर 10180 रकबा 0.0100, खसरा नम्बर 10181 रकबा 1.6200, खसरा नम्बर 10183 रकबा 0.0900, खसरा नम्बर 10187 रकबा 0.0100 कुल रकबा 1.7300 है0 ग्राम खिरनी क्रय की है। ग्राम पंचायत ने राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु रूल्स 1957 के नियम 121(4) की अनदेखी करके वैधानिक विक्रयपत्र के अनुसार नामान्तरकरण

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर
संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

तस्दीक नहीं किया है। धारा 33, 34, 35 का स्पष्ट उल्लघंन किया है। इसलिऐ अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 573 स्वीकार किया जावे। तहत अदालत उपखण्डाधिकारी मलारनाडूंगर द्वारा बाद कार्यवाही अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.08.2017 पारित करते हुये अपील अपीलान्ट स्वीकार की गई तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 573 दिनांक 25.02.2016 ग्राम खिरनी पर सरपंच ग्राम पंचायत खिरनी द्वारा दिया गया आदेश निरस्त किया गया एवं विक्रय पत्र दिनांक 21.12.2015 के आधार पर अपीलान्टस के नाम भरे गये नामान्तरकरण को स्वीकार किया जाकर विक्रय पत्र के अनुसार भूमि अपीलान्टस के नाम खातेदारी में दर्ज करने का आदेश दिया गया जो मौका रिकार्ड एवं कानून सम्मत है। अपील बेबुनियाद तथ्यों पर आधारित होने के कारण काबिले मंसूखी है। प्रकरण की वास्तविकता यह है कि गजानन्द पुत्र जोहरसिंह राजपूत द्वारा रैस्पो0 संख्या 1 व 2 को विक्रय की गई भूमि वसीयत के माध्यम से गजानन्द राजपूत को प्राप्त हुई है जो उसकी स्वअर्जित भूमि की श्रेणी में आती है। मृतक गजानन्द राजपूत ने अपनी खातेदारी की वादग्रस्त भूमि को रैस्पो0 नं0 1 व 2 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय किया है। यह विक्रय पत्र वैधानिक तरीके से सक्षम अधिकारी के समक्ष तस्दीक हुआ है। इस विक्रय पत्र की वैधता पर किसी प्रकार की जांच टिप्पणी करने का क्षेत्राधिकार ग्राम पंचायत को नहीं होकर सक्षम सिविल न्यायालय को ही है, परन्तु ग्राम पंचायत ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर विधिवत तरीके से रजिस्टर्ड हुये विक्रयपत्र के अनुसार क्रेतागण के पक्ष में भरे गये नामान्तरकरण को खारिज किया है, एवं नामान्तरकरण को खारिज करने से पूर्व क्रेतागण को सुनवाई का कोई अवसर भी प्रदान नहीं किया है। इस प्रकार अपीलाधीन नामान्तरकरण पर सरपंच ग्राम पचांयत खिरनी द्वारा दिया गया आदेश उनके क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण व विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है तथा विक्रय पत्र दिनांक 21.12.2015 के आधार पर वादग्रस्त भूमि की खातेदारी रैस्पो0 संख्या 1 व 2 अपने नाम दर्ज कराये जाने के अधिकारी है। इसलिऐ तहत अदालत ने कानून सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटी नहीं है। एक रजिस्टर्ड दस्तावेज विक्रय पत्र को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है। तहत अदालत ने बाद परीक्षण मौका एवं रिकार्ड के अनुरूप ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसमें रैस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की अपील स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 573 दिनांक 25.02.2016 ग्राम खिरनी पर सरपंच ग्राम पंचायत खिरनी द्वारा दिया गया आदेश निरस्त किया गया है एवं विक्रय पत्र दिनांक 21.12.2015 के आधार पर रैस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम भरे गये इस नामान्तरकरण को स्वीकार किया जाकर विक्रय पत्र के अनुसार भूमि रैस्पोडेन्ट सख्या 1 व 2 के नाम खातेदारी दर्ज करने का आदेश दिया गया है और उसी के अनुसार राजस्व अभिलेख में प्रविष्टियां की जाने के आदेश दिये गये हे जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 02.08.2017 को यथावत रखा जावे।

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में रैस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से उपखण्ड अधिकारी मलारनाडूंगर के न्यायालय में ग्राम पंचायत खिरनी की ओर से स्वीकृत किये गये नामान्तकरण संख्या 573 दिनांक 25.02.2016 के विरूद्ध प्रथम अपील पेश किये जाने पर उपखण्ड अधिकारी मलारना डूगर ने रैस्पोडेन्ट संख्या 1 ग्राम पंचायत को विधिवत नोटिस जारी किया गया। जिसका ग्राम पंचायत की ओर से जवाब पेश किया गया। अपीलान्ट की ओर से सीपीसी के आदेश 1 नियम 10 के तहत अपील में पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर अपीलान्ट को भी अपील में पक्षकार बनाया जाकर सुनवाई व साक्ष्य पेश करने का पर्याप्त अवसर देने के बाद अपीलाधन निर्णय दिनांक 02.08.2017 को पारित किया गया है। उक्त निर्णय में उपखण्ड अधिकारी मलारनाडूंगर ने उभयपक्षकारान के अभिभाषकगण की ओर से की गई बहस का उल्लेख करने के बाद अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जिसमें यह उल्लेख किया है कि नकल जमाबन्दी सम्वत् 2050 से 2053 के अनुसार भूमि का सविक खसरा नंबर 1164 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा घिस्या पुत्र जोहरसिंह राजपूत की खातेदारी में थी। इस भूमि की विरासत नामान्तकरण संख्या 335 दिनांक 05.04.2006 के द्वारा घिस्या के वारिसों ओंकार सिंह, श्योजी सिंह, राधेश्याम सिंह, छोटे सिंह, विमला बाई, लाड बाई के नाम दर्ज होने का उल्लेख है। नामान्तकरण संख्या 335 दिनांक 05.04.2006 के विरूद्ध गजानन्द पुत्र जोहरसिंह ने उप जिला कलक्टर मलारनाडूंगर के न्यायालय में अपील पेश की थी। जिसे निर्णय दिनांक 25.11.2011 के द्वारा नामान्तकरण संख्या 335 दिनांक 05.04.2006 को खसरा नंबर 1164 ग्राम खिरनी की सीमा तक आंशिक रूप से निरस्त कर दिया था। इस भूमि के भू प्रबंध के दौरान बने नये नंबर नकल जमाबन्दी सम्वत् 2063 के अनुसार घिस्या पुत्र जोहरसिंह की खातेदारी में दर्ज हुए हैं। घिस्या द्वारा उक्त भूमि की वसीयत गजानन्द पुत्र जोहरसिंह के नाम किये जाने के कारण नामान्तकरण संख्या 251 दिनांक 20.07.2013 के द्वारा वादग्रस्त भूमि गजानन्द पुत्र जोहरसिंह के नाम दर्ज हुई। इसके खातेदार गजानन्द द्वारा 21.12.2015 को विक्रय पत्र अपीलार्थीगण के हक में उप पंजीयक मलारना डूंगर के कार्यालय में तस्दीक करवाया गया। इस विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण संख्या 573 दिनांक 25.02.2016 खोला गया। जिसे सरपंच द्वारा खारिज कर दिया गया। विद्वान उपखण्ड अधिकारी ने अपीलाधीन निर्णय में यह माना है कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार गजानन्द पुत्र जोहरसिंह राजपूत द्वारा अपीलार्थी को विक्रय की गई भूमि वसीयत के माध्यम से गजानन्द राजपूत को प्राप्त हुई है, जो उसकी स्वअर्जित सम्पत्ति की श्रेणी में आती है। मृतक गजानन्द द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अपीलान्ट को भूमि का विक्रय किया गया था, जो कि वैधानिक तरीके से सक्षम अधिकारी से तस्दीक हुआ है। इस विक्रय पत्र की वैधता पर किसी प्रकार की जॉच या टिप्पणी करने का क्षेत्राधिकार ग्राम पंचायत को नहीं होकर सक्षम सिविल

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर
संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

न्यायालय को है, परन्तु ग्राम पंचायत ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर विधिवत तरीके से रजिस्टर्ड हुए विक्रय पत्र के अनुसार क्रेतागण के पक्ष में भरे गये नामान्तकरण को खारिज किया है एवं नामान्तकरण खारिज करने से पूर्व क्रेतागण को सुनवाई का कोई अवसर भी नहीं दिया गया। इस आधार पर ग्राम पंचायत की ओर से पारित आदेश को क्षेत्राधिकार से बाहर मानकर निरस्त करते हुए विक्रय पत्र दिनांक 21.12.2015 के आधार पर वादग्रस्त भूमि की खातेदारी अपीलान्ट जो कि उक्त अपील में रैस्पोडेन्ट है, के नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नहीं है, क्योंकि उक्त आदेश उभयपक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने के बाद पारित किया गया है। अपीलाधीन निर्णय स्पष्ट व स्पीकिंग होने के साथ–साथ तथ्यों पर आधारित है। इसलिए इसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नजर नहीं आता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर उपखण्ड अधिकारी मलारनाडूंगर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 02.08.2017 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 27.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर